

राजनीतिक अधिकारों तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। ये पंचायत अध्यक्ष ग्रामीण समस्याओं पर तो नियन्त्रण कर ही रही हैं, इसके साथ ही इन्होंने कई क्षेत्रों में सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी अपना अभियान चला रखा है।

पंचायतों के माध्यम से अनेक महिलाएं, जैसे—फातिमा बी (आन्ध्र प्रदेश), सविता बेन (गुजरात), सुधा पटेल (गुजरात), गुड़या बाई (मध्य प्रदेश), उर्मिला यादव (रिवाड़ी, हरियाणा) आदि ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने पंचायतों का नेतृत्व करने के पश्चात् ग्रामीण विकास के अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उ.प्र. में सम्पन्न हुए पंचायत चुनावों में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु 50 % से अधिक महिलाओं ने चुनाव में विजयी घोषित होकर अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया था जिसका ग्रामीण विकास, विशेषकर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है।

महिलाओं ने अवसर प्राप्त करते ही घर की चारदिवारी से बाहर निकलकर अपने आप को कुशल प्रशासक के रूप में नेतृत्व करने की अपनी क्षमता को सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है। इसका सशक्त उदाहरण राजस्थान का बाड़मेर जिला है। 73वें संविधान संशोधन से पूर्व बाड़मेर जिले में जितनी बार भी पंचायत चुनाव हुए, कोई भी महिला सरपंच के पद पर निर्वाचित नहीं हुई थी। परन्तु वर्ष 1995 में नए अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् इस जिले में चुनाव कराये गए जिसमें इस जिले की 380 ग्राम पंचायतों में से 129 (33.99%) महिला सरपंच चुनी गईं। इसी प्रकार इन 380 ग्राम पंचायतों में 4,170 वार्ड पंच चुने गए जिनमें लगभग 1,390 महिलाएं थीं।

इसी प्रकार भारत में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायतों के चुनाव कराए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 1,44,735 प्रतिनिधि चुने गए, जिसमें से 48,993 स्त्रियां थीं। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों के 82,504 प्रतिनिधि चुने गए जिनमें से 26,735 स्त्रियां थीं इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग से 61,993 स्त्रियां निर्वाचित होकर आईं। यह स्त्रियों की मुक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, जो कि समग्र विकास की एक अनिवार्य शर्त है। 73वां संशोधन पास हुए अभी तीन दशक ही पूर्ण हुए हैं किन्तु वर्षों से घर की चारदिवारी के अन्दर बंद महिलाओं ने बाहर समाज में आकर एक कुशल प्रशासक के रूप में जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है, वह निःसंदेह ग्रामीण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम है।

पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण

(Empowerment of Panchayati Raj System)

पंचायती राज के रूप में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया को मजबूत बनाने के साथ ही ग्रामवासियों को आपसी और सामूहिक समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निवारण के लिए